बिहार विधान-सभा-वादवृत्त

बृहस्पतिवार, तिथि ८ फरवरी, १९५१।

भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एकत्र विधान-सभा का कार्य विवरण।

सभा का अधिवेशन पटने के सभा सदन में बृहस्पतिवार, तिथि ८ फरवरी, १९५१ को पूर्वाह्न ११ बजे माननीय अध्यक्ष श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद वर्मा के सभापतित्व में हुआ।

अल्प सूचना प्रश्नोत्तर।

SHORT NOTICE QUESTIONS AND ANSWERS.

BHAGWANPUR CO-OPERATIVE SOCIETY.

5. **Shri DIP NARAYAN SINHA:** Will Hon'ble the Minister in charge of the Development Department be pleased to state—

(*a*) whether it is a fact that the Bhagwanpur Co-operative Development and Cane Marketing Union in the district of Muzaffarpur was dealing in sugar and it had to stop its sugar business under the orders of the District Magistrate of Muzaffarpur;

(*b*) whether it is a fact that the sugar business done by the Bhagwanpur Co-operative Development and Cane Marketing Union has been entrusted to an individual;

(*c*) whether it is a fact that in reply to a question put to Government they gave assurance that sugar business will be given to Co-operative Societies if they so desire;

(*d*) whether it is a fact that the Bhagwanpur Co-operative Development and Cane Marketing Union has not got back its sugar business though correspondence for the same has been going on for the last many months?

Shri BIRCHAND PATEL: (*a*) The answer is in the affirmative.

(*b*) There are at present two wholesalers in Hajipur Subdivision one of which is a Co-operative organisation and the other is an individual business man.

(*c*) No question seems to have been asked recently in the Assembly regarding the sugar business of Co-operative Associations in the business of controlled commodities.

(*d*) Government orders have already been passed within the last week re-appointing the Bhagwanpur Canegrowers' Union as the sugar wholesaler in the Hajipur Subdivision.

श्री सैयद अमीत अहमद—जनाब सदर, बिल तो पास हो ही रहा है। लेकिन इस सिलसिले में एक जरूरी बात है जो मैं आपके के सामने, हाउस के सामने और रेवेन्यू मिनिस्टर के सामने रख देना चाहता हूँ। इस गवर्नमेंट से क्या फ़ायदा है जो एक तरफ तो पैदावार बढ़ाने के लिये परती जमीन को आबाद करने जा रही है और दूसरी तरफ पैदावार जमीन को छिनने जा रही है। जनाब सदर, दिलावलपुर, विहटा के पास ३० एकड़ जमीन है जिसमें खेसारी पैदा होती है उसे गौशाला के लिये सरकार छिनने जा रही है। यह कहां तक मुनासिब है। मेरे पास उन लोगों के नाम मौजूद हैं जिन लोगों ने इसका विरोध किया है कि उनकी जमीनें न छिनी जांय। अगर मिनिस्टर साहब यह आश्वासन दें कि इस ३० एकड़ जमीन को नहीं लेंगे तो मुझे कोई एतराज नहीं है।

माननीय श्री कृष्ण वल्लभ सहाय—हमें उसको दे दीजिए। हम उस पर विचार करेंगे।

माननीय अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि:

बिहार एमर्जेन्सी कल्टिवेशन ऐन्ड इरिगेशन (टेम्पोरेरी प्रॉविजन्स) बिल, १९५१ स्वीकृत हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ है।

बिहार एप्रोप्रियेशन बिल, १९५१ (१९५१ का वि० सं० ४)।

THE BIHAR APPROPRIATION BILL, 1951.

[BILL NO. 4 OF 1951.]

माननीय पंडित विनोदानन्द झा—मैं प्रस्ताव करता हूँ कि:

बिहार एप्रोप्रियेशन बिल, १९५१ पर विचार हो।

श्री सैयद मजहर इमाम—जनाब सदर, यह बिल जो हाउस में पेश किया गया है, इसमें शक नहीं कि यह एक फौर्मल चीज है और इस पर ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। सवाल यह है कि सप्लीमेंटरी बजेट जिस तरह हुआ करता है इस साल भी हुआ। मगर फाइनेन्स डिपार्टमेंट में किस तरह से काम होता है यह देखकर मुझे ताज्जुब होता है। यह सुनकर आपको भी हैरत होगी कि खुद हुजूर के डिपार्टमेंट से लेजिस्लेचर के मेम्बर्स का जो बिल पास किया जा रहा है उसे ट्रेजरी ऑफिसर पास नहीं करता है। सवाल यह है कि गवर्नमेंट के खजाने में अगर रुपया नहीं है तो फिर बिल को यहां से पास करने का मानी क्या है। जब लेजिस्लेचर के मेम्बर्स के बिल की यह हालत है तो और तमाम लोगों के बिल का क्या हशर होगा। यह आप सोच सकते हैं। अगर रुपया नहीं था तो गवर्नमेंट को साफ कहना चाहिये था और फाइनेन्स मिनिस्टर साहब को इसके लिये सप्लीमेंटरी बजेट पेश करना चाहिये था।

माननीय अध्यक्ष—यहां मेम्बरों के बिल की बात नहीं आती है। आप यह कह सकते हैं कि पूरक बजट में क्यों नहीं मंजूरी ली गयी।

श्री सैयद मजहर इमाम—कहना यह है कि:

सेक्रेटेरियट में रीऔरगेनाइजेशन किया जा रहा है जिससे काम में जल्दी हो और एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर में खत-व-किताबत में देर न हो। लेकिन काम की जो हालत है वह जाहिर है। सवाल यह है कि बगैर सप्लिमेंटरी बजट पास किये गवर्नमेंट रुपया खर्च करती है या नहीं। अगर बगैर हाउस की मंजूरी के रुपया खर्च करती है और उसके बाद सप्लिमेंटरी बजट पेश होता है तो क्या वजह है कि फाइनेन्स डिपार्टमेंट ने लेजिस्लेचर के मेम्बर्स के बारे में ऐसा नहीं किया। आप जिस डिपार्टमेंट में चाहते हैं खर्च करते हैं उसके बाद सप्लिमेंटरी बजट पेश करके पास कराते हैं मगर हमलोगों के केस में ऐसा नहीं किया गया। ट्रेजरी ऑफिसर ने बिल पास नहीं किया यह हमलोगों का इनसल्ट है। अगर ऐसी बात थी तो सेक्रेटरी को इसकी खबर मिलनी चाहिये थी ताकि वह बिल पर दस्तखत नहीं करते। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गयी। मैं हुजूर से कहूंगा कि जबतक गवर्नमेंट से कोई खबर नहीं आवे कोई बिल पास नहीं किया जाय जिसमें मेम्बरों को बेकार बिल लेकर दौड़ना नहीं पड़े। मेम्बर्स बाहर से आये हुये हैं। सब को रुपये की जरूरत है। लेकिन अफसोस है कि गवर्नमेंट इस तरफ कुछ ध्यान नहीं देती। जहां तक हमें मालूम है कि हुजूर के डिपार्टमेंट ने फाइनेंस डिपार्टमेंट को खबर भी दी है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।

श्री सैयद बदरुद्दीन अहमद—मैं यह जानना चाहता हूँ कि और कोई डिपार्टमेंट ऐसा है या नहीं जहां रुपया नहीं मिल रहा हो। अगर ऐसा नहीं है तो लेजिस्लेचर के मेम्बर्स के लिये जो बहुत दूर से आते हैं, ऐसा डिस्क्रिमिनेशन क्यों किया गया?

श्री मुहम्मद अब्दुल गनी—हमारे लायक दोस्त ने यह बहुत ही पर्टिनेन्ट क्वेशचन किया है कि गवनमेंट बगैर हाउस के सैंक्शन के रुपया खर्च करती है और उसके बाद सप्लीमेंटरी डीमांड पेश करती है।

माननीय अध्यक्ष—सप्लिमेंटरी डीमांड में यह लिखा रहता है कि रुपया खर्च हो गया।

श्री मुहम्मद अब्दुल गनी—जहां तक मुझे इल्म है रुपया खर्च हो चुका है और होता जा रहा है और गवर्नमेंट खर्च करने के बाद हाउस के सामने सैंक्शन के लिये सप्लिमेंटरी बजट पेश करती है। अगर ऐसी बात नहीं है तो गवर्नमेंट यह बतावे कि वह अपने उन एम्पोलाईज को जिनके लिये सप्लिमेंटरी डीमांड में रुपया मांगा जाता है कहां से, रुपया देती है। जब बिना हाउस के सैंक्शन के आप उनको तनख्वाह देते हैं तो ट्रेजरी ऑफिसर को यह देखना चाहिये कि हाउस ने इसको सैंक्शन किया या नहीं। हम जानते हैं गवर्नमेंट इसका क्या जवाब देगी।

श्री मुहम्मद अब्दुल गनी—मैं जानता हूँ कि सरकार की तरफ से इसका जवाब आयगा कि गवर्नमेंट के यहां सेविंग था.....

माननीय पंडित विनोदानन्द झा—मगर यह जवाब नहीं है।

श्री मुहम्मद अब्दुल गनी—आपने सप्लिमेंटरी डीमांड पेश किया था ८४ लाख के लिये, उसमें ५८ लाख तो सेविंग्स से ही मीट होगा। यह बैड बजेटिंग के लिये फाइनेंस डिपार्टमेंट जिम्मेवार है। आप का यह प्ली कि आप के पास रुपया था ठीक नहीं है।

माननीय पंडित विनोदानन्द झा—मेरा काई प्ली नहीं है। आप सिर्फ इमैजिनेशन पर बात कर रहे हैं।

श्री मुहम्मद अब्दुल गनी—मेरे कहने का मतलब यह है कि जब सेविंग ही का सवाल है तब ट्रेजरी ऑफिसर को चाहिये था कि देखें कि लेजिस्लेचर असेम्बली डिपार्टमेंट के लिये जो रकम हाउस ने मंजूर की है मेम्बरों के टी० ए० के लिये वह एमाउन्ट एक्सीड करता है या नहीं। अगर नहीं एक्सीड करता है, तो यह पटना के ट्रेजरी ऑफिसर की ज्यादती है कि मेम्बरों के बिल्स को रिटर्न करदे। जिस तरह से गवर्नमेंट आफिसर्स के टी० ए० बिल्स का पेमेंट होता है, उसी तरह से मेम्बर्स के टी० ए० बिल्स का भी पेमेंट होना चाहिये। ट्रेजरी ऑफिसर अलग सिंगिल आउट करता है और एकाउन्टेन्ट-जेनरल के यहां और भी दिक्कतें पैदा होती हैं। यदि एकाउन्ट्स देखा जाए तो पता चलेगा कि गवर्नमेंट के यहां ४०० रु० या ५०० रु० एक-एक मेम्बर का पड़ा हुआ है। अक्टूबर से आज तक पेमेंट नहीं हुआ है। मेम्बर क्या बैंक है कि आप ८०० रु० या ९०० रुपया एक-एक मेम्बर का रोके हुए हैं। फाइनेन्स डिपार्टमेंट या एकाउन्टेन्ट-जेनरल के यहां याने दोनों जगह देरी होती है।

माननीय अध्यक्ष—जेनरल डिसकशन की बातें बजटे पर बहस करने के समय के लिये रहने दीजिये।

श्री मुहम्मद अब्दुल गनी—हमलोगों के साथ स्टेप-मदरली ट्रीटमेंट हो रहा है। जनवरी में सप्लीमेंटरी डिमांड पास हुआ मगर उसका अभी तक कोई असर नहीं है। गवर्नमेंट के सब डिपार्टमेंट की निगाह हमलोगों की इनकौनवीनियन्स बढ़ाने की तरफ है। लेकिन हमलोगों की हिम्मत बढ़ाने की कोई कोशिश नहीं करते हैं। पी० डब्ल्० डो० की भी वही हालत है। दर असल बात तो यह है कि हम लोगों के लिये यहां रहना ही कर्स है। हमलोगों को जो २०० रुपया मिलता है वह हमलोग नहीं चाहते हैं। सिर्फ आप हमारी जरूरीआत को मीट करें। यहां तक कि आप यदि बजट उठा कर देखें तो पता चलेगा कि वहां ऑनरेबुल मिनिस्टर्स् के प्राइवेट सेक्रेटरीज का नाम भी मेम्बर्स के नाम के ऊपर रखा हुआ है। यह कहां का जहनीअत है। इससे मेनटैलिटी का पता चलता है। सप्लिमेंनटरी डिमांड तो हम लोगों ने पास कर दिया है। ऐप्रोप्रियेशन बिल भी पास होगा ही मगर बैड बजेटिंग से भरा हुआ है। आप जब कहते हैं कि आप के यहां सेविंग्स था तब तो आप ने चोरी की थी।

चोरी का मतलब यह है कि तमाम रुपयों को आपने रोक कर रखा था जिसे आप सेविंग कहते हैं ।

अब हमें सिर्फ एक बात कहनी है । वह यह है कि फाइनेन्स मिनिस्टर के बदले में रेवेन्यू मिनिस्टर ने हम लोगों को वादा दिया था कि जो रूल गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स के लिये रहेगा, वही रूल मेम्बरों के लिये भी लागू होगा, मगर अभी तक ऐसी बात नहीं देखने में आती है ।

माननीय पंडित विनोदानन्द झा—मुझे अपोजीशन बेंच की फीलिंग्स समझने में देर नहीं होती है । यदि किसी बिल में जेनरल डिसकशन रेज किया जाता है, तो कम से कम गवर्नमेंट का जवाब भी सुनने का मौका देना चाहिये । कौन्सटिट्यूशन में भी सप्लीमेंटरी डिमांड पर बहस के लिये रेस्ट्रिक्शन है । जेनरल डिमांड पर बहस का कायदा और ही है । सप्लिमेंटरी डिमांड में सिर्फ उसी आइटम पर बहस सीमित रहनी चाहिये ।

अभी जेनरल डिसकशन की बात नहीं है । सप्लिमेंटरी डिमांड की किसी खास बात पर बहस होनी चाहिये । मैं असेम्बली आफिस को धन्यवाद देता हूँ कि उस आफिस ने कुछ इनफौर्मेशन हमको दे दिया और कोई भी सदस्य चाहें तो उनको मिल सकता है और शायद इससे पोजिशन भी साफ हो जाता है । बात यह है कि ट्रेवेलिंग एलाउएन्स मेम्बरों को देने के लिये अलग कायदे हैं । कायदे के मोताबिक उसी अलौटमेंट से ट्रेवेलिंग एलाउएन्स मिलना चाहिये । यह बात सही है कि बिल पास करने के लिये गवर्नमेंट को अख्तियार है और जरूरत पड़ने पर नया अलौटमेंट भी कर सकती है । किसी खास डिपार्टमेंट का रुपया खर्च हो गया तो यह जरूरी है कि वह गवर्नमेंट को इस बात की खबर दे ताकि गवर्नमेंट इसके लिये उचित रकम दे । फाइनेन्स डिपार्टमेंट को क्या पता कि किस डिपार्टमेंट में कितनी रकम थी और कितना खर्च हुआ है । एकाउन्टेंट-जेनरल, ट्रेजरी औफिसर को पे स्लिप देता है तब वह रकम बरामद की जाती है । कौंसिल आफ मिनिस्टर्स में यह रकम पास हुई और तब यह सप्लिमेंटरी डिमांड में आई । जब तक डिपार्टमेंट कनसर्नड इस बात की खबर नहीं देंगे कि रुपये खर्च हो गये तब तक फाइनेन्स डिपार्टमेंट कैसे कुछ कर सकता है ? रुपया इन ऐनटीसीपेशन, ईवेन आफ दी वोट आफ दी हाउस खर्च किया जाता है । मुझे मालूम है कि मेम्बरों को तकलीफ हुई है । कोशिश की जायेगी कि ऐसी बात आइन्दे से न हो और जहां तक जल्द हो उसको किया जाय । ऐज ऐन ऐडमिनिसट्रेटर ऐन्ड लेजिस्लेटर्स समझना चाहिये कि फाइनेन्स डिपार्टमेंट इस बात का कैसे जवाब दे सकता है । असेम्बली डिपार्टमेंट भी तो गवर्नमेंट है उसमें भी त्रुटि होती है । जो डिपार्टमेंट कनसर्नड हैं और जिनका रुपया खर्च हो गया वे रिपोर्ट करें कि उनको रुपया चाहिये । बिल में जो प्रोविजन्स हैं और जिनके लिये वोट की जरूरत है वह ठीक है । मैं आशा करता हूँ कि हाउस इसको कबूल करेगा ।

माननीय अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि :
The Bihar Appropriation Bill, 1951 पर विचार हो ।
प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

माननीय अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि :
खंड २ और ३ इस विधेयक के अंग बनें ।
प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड २ और ३ इस विधेयक के अंग बने ।

माननीय अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि :
शिड्यूल इस विधेयक का अंग बने ।
प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

शिडयूल इस विधेयक का अंग बना ।
माननीय अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि :
खंड १ इस विधेयक का अंग बनें ।
प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड १ इस विधेयक का अंग बना ।

माननीय अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि :
'प्रस्तावना' इस विधेयक का अंग बने ।
प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

'प्रस्तावना' इस विधेयक का अंग बनी ।
माननीय अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि :
'नाम' इस विधेयक का अंग बने ।
प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

'नाम' इस विधेयक का अंग बना ।

माननीय पंडित विनोदानन्द झा—मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :
बिहार एप्रोप्रियेशन बिल, १९५१, स्वीकृत हो ।

श्री सैयद अमीन अहमद—जनाब सदर, मैं इस तजवीज की मुखालफत करता हूँ । कायदे के हिसाब से हमलोगों को पूरा अख्तियार है कि सप्लिमेंटरी डिमांड के लिए जिस-जिस चीज के लिए रुपये का डिमांड किया गया था और जो-जो वजहें उन्होंने बतलाई हैं अगर हमलोगों ने नामुनासिब समझा है तो सप्लिमेंटरी डिमांड पास होने पर भी हमलोग आज अपना एतराज पेश कर सकते हैं ।

जनाब सदर, सप्लिमेंटरी डिमांड जिस वक्त पेश हुआ था—हमारे मिनिस्टर साहब छूट गये क्योंकि उनको मांग पहुंचते पहुंचते guillotine की धारी आ गई थी ।

चन्द बातें भी इन्होंने अपनी की हैं जिनका जवाब देना जरूरी है ।

जनाब सदर, आप जानते हैं कि गवर्नमेंट के लिए यह ठीक है कि लोगों को पढ़ाने के लिये बाहर भेजना स्टेट स्कालरशिप देना जायज और मुनासिब है लेकिन अगर

कोई शख्स विलायत से डिग्री लेकर आता है अपने खर्च पर और किसी जगह पर उसका अपोएन्टमेंट होता ह तो उसका समूचा खर्च गवर्नमेंट दे—यह अंधेर नगरी नहीं है तो क्या ह? इस तरह की अनोखी बात सिवा सूबे बिहार के तो और कहीं सुनने को नहीं आती ।

माननीय अध्यक्ष—बिल के तृतीय पठन (थर्ड रीडींग) में सामान्य बातें कही जाती हैं । इस समय आप खंडशः विचार नहीं कर सकते हैं ।

श्री सैयद अमीन अहमद—यह तो जेनरल बात है ।

माननीय श्री रामचरित्र सिंह :

Sir, I rise on a point of order, this has already been discussed at the time of supplementary demand. This question cannot be re-opened now, whether the demand was right or wrong, as this has been accepted by the House. The decision of the House cannot now be challenged. Taking that the Bill has been passed there cannot be general discussion.

श्री सैयद मजहर इमाम—जनाब सदर, तो इसका मतलब यह हुआ कि इस पर कोई कुछ कह ही नहीं सकता है मगर शिड्यूल का मतलब यह होता है कि इस पर डिसकशन कर सकते हैं । ऑनरेबुल मेम्बर के कहने का मतलब यह होता है कि हमें कोई हक नहीं है कुछ कहने का ।

The Hon'ble Shri RAMCHARITRA SINHA : No amendment shall be proposed to any such Bill in the House or either House of the Legislature". This is clause (2) of Article 204 of the Constitution.

You are not moving an amendment, but you are discussing the decison of the House which has already been made. That you should not do. You are challeging the decision of the House.

श्री सैयद मजहर इमाम—इस तरह से तो जो भी कहा जायगा उसका मानी चैलेन्ज करना होगा ।

श्री मुहम्मद अब्दुल गनी—अभी जो पोआएन्ट ऑफ औडर रेज हुआ है वह बिलकुल बेमतलब है, इसलिए कि हाउस की राय तलब की जा रही है इस बिल को पास करने में, और हर मेम्बर को यह इनहियरेन्ट राइट है कि वह अपना अर्गूमेन्ट पेश करे कि क्या-क्या नेगलिगेंज्स और फरामोशियां हैं ।

The Hon'ble Shri RAMCHARITRA SINHA : "The House has already taken a desision. You should criticise the Government, not the decision of the House.

श्री सैयद अमीन अहमद—जनाब सदर, मेरे दोस्त ने जो पोआएन्ट ऑफ ऑडर रेज किया, उसकी वजह शायद यह है कि कौन्सटिच्युशन को पास हुए एक वर्ष गुजर गए, और इस एक बरस के अंदर इस असेम्बली का क्या प्रीसीडेंट है और पार्लियामेन्ट का क्या प्रीसीडेन्ट है इसको मेरे दोस्त ने देखने की कोशिश नहीं की। २६ जनवरी

का जो बहस हुई और जिसमें फर्स्ट ऐप्रोप्रियेशन बिल पास की गई उसमें आपकी रूलिंग मौजूद है कि कैसा डिसकशन हो सकता है और पार्लियामेंट की रूलिंग मौजूद है कि कैसे डिसकशन हो सकता है और इच ऐन्ड ऐभरी आईटम औफ दी बजट और दी सप्लीमेन्टरी डीमान्ड, ऐज दी केस में बी ।

माननीय पंडित विनोदानन्द झा—स्टेटमेंट का पेज कहिए।

श्री सैयद अमीन अहमद—१६ से २१ तक ।

माननीय अध्यक्ष—मनी बिल में तो आपने कोई संशोधन दिया नहीं और दे भी नहीं सकते हैं ।

श्री सैयद मजहर ईमाम—ऐज ए होल अपोज कर सकते हैं ।

माननीय अध्यक्ष—हां, मगर तफसील में नहीं जा सकते हैं । एक दफा निर्णय हो गया कि आप तफसील में नहीं जा सकते। जेनरल वे में कह सकते हैं कि हम इसको नहीं मान सकते । आप के जो ग्राउन्डस हों दीजिए, लेकिन वे ऐसे नहीं जो सभा द्वारा मंजूर किए गए आइटेम के खिलाफ हों, क्योंकि सभा की राय के खिलाफ आप कभी भी नहीं बोल सकते । आप जेनरली कहें कि खर्चा ठीक नहीं है, आप इसको नहीं मानेंगे ।

माननीय श्री रामचरित्र सिंह—यह भी कह सकते हैं कि हम गुस्से में हैं और गुस्से में बिल नहीं पास कर सकते हैं। That you can say (laughter).

श्री सैयद अमीन अहमद—हम यह भी कह सकते हैं कि जिन लोगों को पूरी अक्ल नहीं है उनको रुपया देना चाहिए और जिनको रुपया खर्च करने की सलाहियत नहीं है उनको रुपया नहीं दिया जाय ।

जनाब सदर, मेरा सबसे बड़ा एतराज गवर्नमेन्ट पर यह है कि रुपया लेने में गवर्नमेंट बड़ी दिलेरी करती है, लेकिन रुपया कैसे खर्च करना चाहिए यह नहीं जानती । जिस शख्स को फौरेन एडुकेशन है उसको अपोएन्ट किया, मगर अपोएन्टमेंट करने के बाद उसका जो खर्च हुआ था फौरेन क्वालिफिकेशन हासिल करने में वह रुपया स्टेट स्कौलरशिप से दे दिया। यह स्कैंडेलस वेस्ट औफ मनी है । मुझको बड़ी खुशी होगी अगर मेरे दोस्त इसको एक्सप्लेन करें खड़े होकर कि किस प्रींसीपल पर ऐसा किया ? गवर्नमेंट की कम्पीटेन्स या इनकम्पिटेन्स टेक्स्ट बुक कमिटी के सिलसिले में जो अखबारों में छप चुका है.....।

माननीय अध्यक्ष—शांति-शांति ? तफसील में जाने की जरुरत नहीं ।

श्री सैयद अमीन अहमद—अखबारों के पेजों को देखिए कि गवर्नमेंट ने जब से टेक्स्ट बुक का काम अपने सर पर लिया.....।

माननीय श्री रामचरित्र सिंह—अखबार आप के लिए बाइबिल हो सकता है, हमलोगों के लिए नहीं ।

श्री सैयद अमीन अहमद—मुझे बड़ी खुशी है कि गवर्नमेन्ट अखबारों को नहीं पढ़ती है ।

माननीय अध्यक्ष—शांति-शांति ?

श्री सैयद अमीन अहमद—खैर यह बिल पास होवे, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि जनाब एडुकेशन मिनिस्टर साहब कुछ जवाब देंगे ।

श्री मुहम्मद अब्दुल गनी—मुझे इतना ही कहना है कि जिस डिपार्टमेंट के लिए ऐप्रोप्रियशन बिल पास किया जा रहा है वह जरा सोया हुआ है । मिसाल के तौर पर एडुकेशन डिपार्टमेंट है । एडुकेशन डिपार्टमेंट के जो चार्ज में है वह मिनिस्टर साहब हमलोगों की खुशनसीबी है कि बैठे हुए हैं । उनकी यह बड़ी मिहरबानी हो चुकी है कि उन्होंने यह वादा किया है कि उर्दू की प्राइमरी टीचिंग जारी रहेगी इस सूबे में, मगर इसके लिए ट्रेन्ड टीजर्स सिवान एलीमेन्ट्री स्कूल से तैयार किए जाते थे । आज वह कनवर्ट किया जा रहा है हिन्दी ट्रेनिंग स्कूल में । वह बतलावें उनको इल्म है या नहीं कि एक ही फैक्टरी जो सारे सूबे के लिए उर्दू एलीमेंटरी गुरु ट्रेनिंग के नाम से थी सीवान में वह भी छीनी जा रही है या नहीं । अगर ऐडमीशन हो गया है हिन्दी टीचर्स का उस स्कूल में तो एक भी ट्रेन्ड उर्दू टीचर अब नहीं तैयार होगा ।

माननीय अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि :

बिहार एप्रोप्रियेशन बिल, १९५१ , स्वीकृत हो ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

बिहार टाउन इम्प्रवमेंट ट्रस्ट बिल, १९४८ (१९४८ की वि० स० ३७)—क्रमशः

THE BIHAR TOWN IMPROVEMENT TRUST BILL, 1948.

[BILL NO 37 OF 1948]—*contd.*

Shri SAIYID AMIN AHMAD : Sir, for my previous amendment I beg to substitute the following :—

That in sub-clause (1) of clause 78 the words "either in lump sum or in monthly instalments in such number not exceeding six as may be proved by the Trust" be deleted and the words "in 10 annual instalments" be substituted.

माननीय अध्यक्ष—आप इस विषय पर बोल चुके हैं ।

श्री सैयद अमीन अहमद—कुछ और कहना बाकी रह गया है । हमारे दोस्त की क्या नीयत है यह इस खंड में जाहिर हो गयी है । कभी-कभी इन्सान के न चाहने पर भी हकीकत का पता चल जाता है । आप बेटरमेंट फी की शक्ल में लैंड अक्विजीशन कर लेना चाहते हैं । अगर एक सड़क आपने सिर्फ बना दी तो आप कहेंगे कि सड़क के खुलने की वजह से तुम्हारी जमीन की कीमत १,००० से १०,००० हो गयी है इसलिए ९,००० पया बेटरमेंट फी की शक्ल में तुम हमें एक किस्त में या ६ महीने के अन्दर दे दो । मैं यह नहीं कहता कि आप बेटरमेंट फी नहीं लें । मैं सिर्फ यही चाहता हूं कि यह फी इतनी कड़ी न हो जाय कि कोई दे न सके और उसकी जमीन